रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (DN)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 121] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 1983/फाल्गुन 23, 1904
No. 121] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 1983/PHALGUNA 23, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1983

का. आ. 176(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./83.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 678(अ)/18-क/आई.डी.आर. ए /72, तारीख 24 अक्तूबर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उक्त आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक ने मैसर्स कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का आ. 620 (अ)/18-क/आई. डी. आर.ए./77, तारीख 19 अगस्त, 1977, सं. का.आ. 590(अ)/18क/आई.डी.आर ए./79, तारीख 23 अक्तूबर, 1979, सं. का. आ 855(अ)/18-क/आई डी.आर. ए./80. 1980, सं. का आ. 315(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1981, सं. का. आ. 765(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./81, तारीख 22 अक्तूबर, 1981, सं. का. आ. 279(अ)/18क/आई. डी. आर. ए /82, तारीख 23 अप्रैल, 1982 सं. का. आ. 466(अ)/18-क/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 30 जून, 1982 और सं. का. आ 866(अ)/18क/आई.डी.आर ए /82, द्वारा उक्त आदेश की अवधि 31 मार्च, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 30 अप्रैल, 1983 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, जारी रखे,

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 1983 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[फाइल सं. 4(12)/79-सी.यू.एस.]
ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 14th March, 1983

S.O. 176|(E)|18A|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) S.O. 678(E)|18A|IDRA|72, dated the 24th October, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the

industrial undertaking known as Messrs Carter Pooler and Company Private Limited, Calcutta, was taken over by the Authorised Controller referred to in the said order for a period of five years;

And, whereas, by the orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 620(E)|18A|IDRA|77, dated the 19th August, 1977, No. S.O. 590(E)|18A|IDRA|79, dated the 23rd October, 1979, No. S.O. 855(E)|18A|IDRA|80, dated the 23rd October, 1980, No. S.O. 315(E)|18A|IDRA|81, dated the 22nd April, 1981, No. S.O. 765(E)|18A|IDRA|81, dated the 22nd October, 1981, No. S.O. 279(E)|18A|IDRA|82, dated the 23rd April, 1982, No. S.O. 466(E)|18A|IDRA|82, dated the 30th June, 1982, and No. S.O. 866(E)|18A|IDRA|82, dated the 31st December, 1982, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 31st March, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised controller should continue for further period upto and inclusive of 30th April, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 30th April, 1983.

[F. No. 4(12)|79-CUS)]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983